पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार

नई दिल्ली
9 मार्च, 2015

राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन

संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एनसीएफ) के माध्यम से पुराने एएसआई स्मारकों का जीर्णोद्धार एवं संरक्षण, ऐतिहासिक स्थलों में पर्यटक सुख-सुविधाएं जैसी मूर्त परियोजनाओं और शिल्पकारों का क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पुस्तक प्रकाशनों, सांस्कृतिक समारोहों आदि जैसी अमूर्त परियोजनाओं, दोनों के रूप में अनेक परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

परियोजना प्रणाली के आधार पर मूर्त और अमूर्त विरासत का विकास करने के लिए कार्पोरेट घरानों द्वारा एनसीएफ में अंशदान दिया जाता है।

एनसीएफ की एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, हुडको, आरईसी, एपीजे ग्रुप आदि जैसे कुछ कार्पोरेट के साथ पहले ही ऐसी भागीदारी मौजूद है, जिन्होंने ऐसी विरासत परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई हैं।

राष्ट्रीय संस्कृति निधि की स्थापना दिनांक 28 नवम्बर,1996 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पूर्त विन्यास अधिनियम,1890 के अंतर्गत एक ट्रस्ट के रूप में भारत सरकार (संस्कृति मंत्रालय) द्वारा की गई थी।

एनसीएफ के मुख्य अधिदेश में विरासत के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी स्थापित करना एवं इसे संपोषित करना तथा भारत की समृद्ध, प्राकृतिक, मूर्त और अमूर्त विरासत के जीर्वोद्धार, संरक्षण, संरक्षा और विकास के संसाधनों को एकत्रित करना शामिल है।

केरल राज्य से एनसीएफ के अतंर्गत प्राप्त प्रस्तावों में अन्य के साथ-साथ सिनगोग क्लॉक टावर, कोचीन का जीर्णोद्धार और संरक्षण, शिवनारायण मंदिर अंगमल्ली का संरक्षण तथा कुतातुकुलम महादेव मंदिर का संरक्षण कार्य शामिल हैं।

यह सूचना लोकसभा में एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में डॉ. महेश शर्मा, केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा दी गई थी।